Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding ban on withdrawals from Punjab and maharashtra Cooperative Bank (PMC Bank) to its depositors, strict monitoring of the bank by RBI and to inquire the scam inside the PMC Bank.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इस समय देश की कई सहकारी बैंकों की हालत बहुत खराब है और कुछ बैंक्स बन्द भी हो गई हैं, जिनमें आम जनता, अधिकतर लोअर मिडिल क्लास के लोगों का मेहनत से कमाया हुआ पैसा डूब गया है । बैंक के कुछ डायरेक्टर लेवल के अधिकारी भारी मात्रा में कुछ कंपनियों को लोन देते हैं और फिर दिवालिया घोषित करके, उनसे भारी मात्रा में रिश्वत लेकर एंजॉय करते हैं और गरीब आदमी अपने जमा किए हुए पैसे के लिए तरस जाता है । रिजर्व बैंक और सरकार का कोई कंट्रोल इन पर नहीं है ।

अभी हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के आठ खाताधारकों की जमा रकम पर आरबीआई द्वारा निकासी प्रतिबन्धों के कार्यान्वयन के बाद मृत्यु हो गई है । लोगों को उनकी गाढ़ी कमाई बैंकों से निकालने से मना किया जा रहा है, जो उनके जीवन भर की जमा पूंजी है । यह बैंक मेरे संसदीय क्षेत्र साउथ सेंट्रल मुंबई में वर्ष 1984 में सायन-कोलाडा में स्थापित किया गया था, जो आज देश में चौथा सबसे बड़ा सहकारी बैंक है । रिजर्व बैंक ने ऑर्डर जारी करके पैसे निकालने पर लिमिट लगा दी, जिससे न केवल व्यक्तिगत जमाकर्ता प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि बैंक में जिन कंपनियों, ट्रस्टों और स्कूलों के खाते हैं, वे अपने कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान करने के लिए पैसे निकालने में असमर्थ हैं । पीएमसी बैंक के डायरेक्टरों ने साठ-गांठ करके दिवालिया कंपनी एचडीआईएल को करोड़ों रुपये का कर्ज देकर बैंक को भी दिवालिया बना दिया है । महाराष्ट्र की अनेक गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटियों के करोड़ों रुपये पीएमसी बैंक में जमा हैं, उनको गुरु नानक जी का 550वां गुरु पर्व मनाने के लिए भी बहुत

कठिनाई का सामना करना पड़ा और उनको कहीं और से पैसे का इंतजाम करके काम निकालना पड़ा । इस बड़े बैंक घोटाले में आम आदमी क्यों सफर करे? उनको अपने ही जमा किए हुए पैसे को निकालने के लिए पिछले दो महीने से भटकना पड़ रहा है, आखिर उनकी क्या गलती है? मेरा सुझाव है कि जिन बैंक अधिकारियों ने यह कुकृत्य किया है, उनकी सम्पत्ति को बेचकर खाताधारकों को उनके द्वारा जमा किए गए पैसे का भुगतान करना चाहिए । अनुमान के आधार पर, बैंक को तत्काल पुन: आरम्भ करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करना आवश्यक है, जो आरबीआई को करना चाहिए । बैंक के जमाकर्ताओं को किसी भी समय अपने पैसे निकालने का अधिकार है और आरबीआई के प्रतिबन्धों के ऐसे कदम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धान्तों के खिलाफ हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि आरबीआई को इस बारे में दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए और सरकार को सदन में एक बिल पारित करके सहकारी बैंकों को आरबीआई के अधीन लाना चाहिए, जिससे बैंक के अधिकारी जनता के धन से धोखाधड़ी न कर पाएं और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री अरविंद सावंत एवं डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री राहुल रमेश शेवले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।